उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तराखंड सरकार ने** समान नागरिक संहिता (UCC) के नियमों को मंज़ूरी दे दी है और **जनवरी 2025 के अंत तक कानून के लिये राजपत्र अधिसूचना जारी करने की योजना है,** जिससे इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्य बिंदु

- **UCC के प्रमुख प्रावधान:**
    - **फरवरी 2024 में उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित** समान नागरिक संहिता (UCC) आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखती है।
    - यह **हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है,** जो मुस्लिम पर्सनल लॉ **के तहत प्रथाएँ हैं।**
        - यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में **समान अधिकार प्राप्त हों।**
    - संहिता में **विवाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है,** जिसका अनुपालन न करने पर सरकारी लाभों से वंचित होना पड़ेगा।
    - **अपंजीकृत लिव-इन संबंधों** के लिये कड़े प्रावधान मौजूद हैं, हालाँकि ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाता है।
- **कार्यान्वयन उपाय:**
    - **सरकार ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति के पंजीकरण के लिये** एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है।
    - नागरिक अपने डेटा और आवेदन की स्थिति को मोबाइल फोन या घर से देख सकते हैं।
    - **सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) को** ऑनलाइन पंजीकरण के लिये अधिकृत किया गया है।
        - इंटरनेट सुविधा से वंचित दूरदराज़ के क्षेत्रों में CSC एजेंट **घर-घर जाकर पंजीकरण सेवाएँ प्रदान करेंगे।**
    - **सरलता और सुविधा के लिये ईमेल और एसएमएस के माध्यम से** आधार**-आधारित पंजीकरण** और ट्रैकिंग की शुरुआत की गई है।
    - ऑनलाइन **शिकायत पंजीकरण तंत्र** भी स्थापित किया गया है।

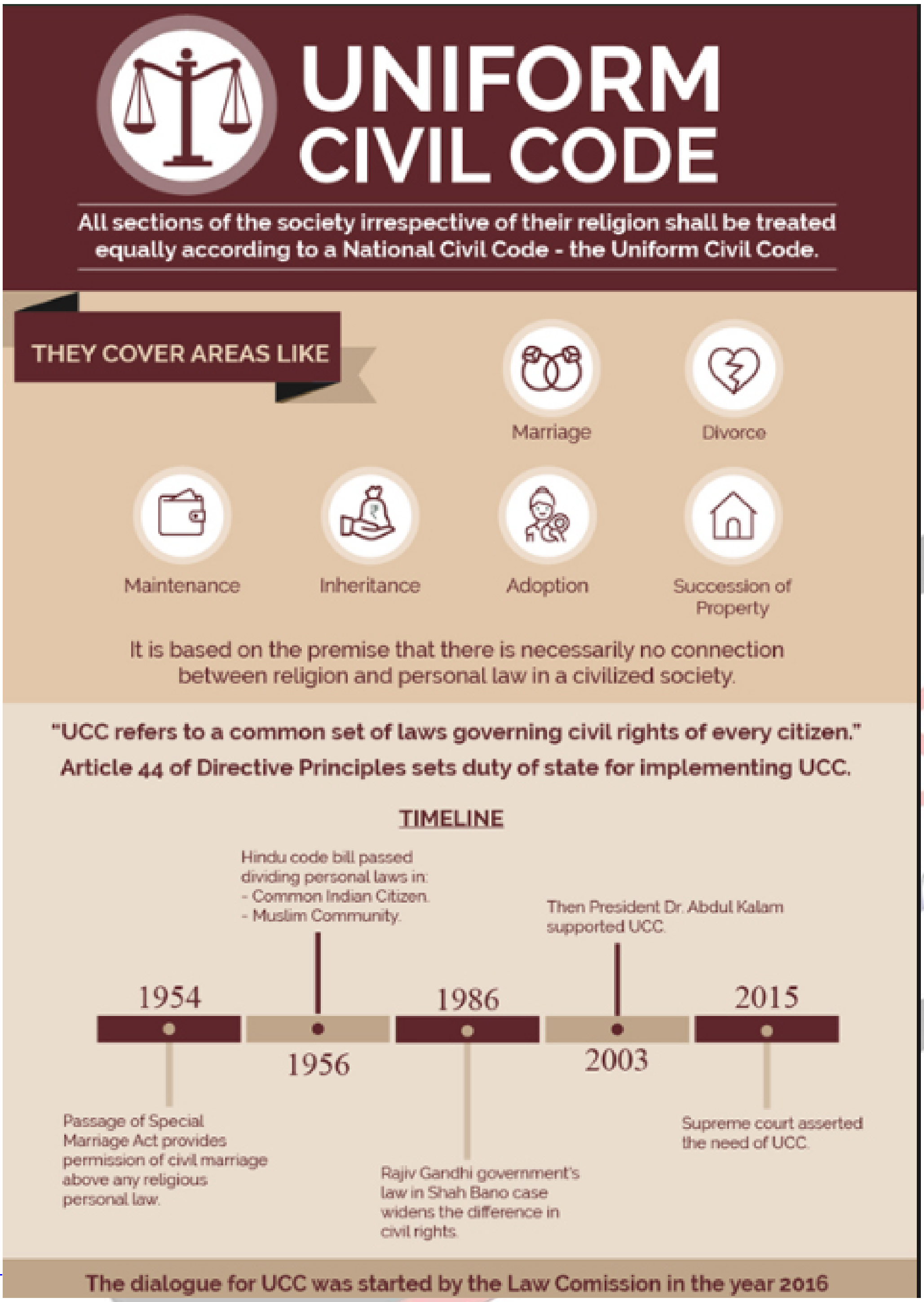

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ucc-rules-in-uttarakhand